भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

व्यय विभाग

लोक सभा

लिखित प्रश्न संख्या - 1037

सोमवार, 10 फरवरी, 2025/21 माघ, 1946 (शक)

केन्द्रीय अंतरण और अनुदान पर राज्यों की निर्भरता

1037. श्री अमरिंदर सिंह राजा वारिंग:

प्रो. सौगत राय:

श्री के. सुधाकरन:

श्री सप्तगिरी शंकर उलाका:

एडवोकेट अदूर प्रकाश:

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) विगत दशक के दौरान केन्द्रीय अंतरणों और अनुदानों पर राज्यों की बढ़ती निर्भरता के क्या कारण हैं;

(ख) राज्यों की अपना कर राजस्व जुटाने की क्षमता में वृद्धि करने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए जा रहे हैं; जिसमें स्टाम्प शुल्क, पंजीकरण शुल्क, मोटर वाहन कर और अन्य राजस्व से संग्रहण में दक्षता में सुधार शामिल हैं;

(ग) क्या सरकार ने तमिलनाडु, केरल और मध्य प्रदेश जैसे अनेक राज्यों में सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) की तुलना में राज्य कर राजस्व के घटते अनुपात का आकलन किया है और यदि हां, तो इस प्रवृत्ति को बदलने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं; और

(घ) माल और सेवा कर (जीएसटी) दरों के संबंध में केन्द्र-राज्य समन्वय में सुधार लाने और विभिन्न राज्यों द्वारा उठाई गई शिकायतों का समाधान करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

वित्त राज्य मंत्री (श्री पंकज चौधरी)

(क): केंद्र सरकार, केन्द्रीय करों और शुल्कों के विभाज्य पूल तथा केंद्र प्रायोजित स्कीमों (सीएसएस) के लिए अनुदान एवं वित्त आयोग अनुदानों सहित सहायता अनुदानों से कर अंतरण के अंतर्गत राज्यों को संसाधन उपलब्ध कराती है। पिछले एक दशक में राज्यों को कर अंतरण मुख्य रूप से अंतरण के प्रतिशत में 13वें वित्त आयोग की अवधि में 32% से 14वें वित्त आयोग की अवधि में 42% तक की वृद्धि के

कारण बढ़ा है। 15वें वित्त आयोग ने भी जम्मू एवं कश्मीर के लिए 1% के समायोजन के बाद समान स्तर बनाए रखा है। केंद्र प्रायोजित स्कीमों के अंतर्गत राज्यों को अंतरण में भी वर्ष 2014-15 में 1,96,442 करोड़ रुपए से वर्ष 2023-24 में 4,44,547 करोड़ रुपए तक की वृद्धि हुई है।

(ख) से (ग): सभी राज्यों ने राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन (एफआरबीएम) अधिनियम बना लिया है जो राज्य सरकार को राजस्व घाटे के क्रमिक उन्मूलन, राजकोषीय घाटे में कमी, राजकोषीय स्थिरता के अनुरूप विवेकपूर्ण ऋण प्रबंधन, सरकार के राजकोषीय संचालन में अधिक पारदर्शिता द्वारा राजकोषीय प्रबंधन और राजकोषीय स्थिरता में विवेक सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी बनाता है। राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन (एफआरबीएम) अधिनियम के अनुपालन की निगरानी राज्य विधान मंडल द्वारा की जाती है। व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय सामान्यत: भारत के संविधान के अनुच्छेद 293 (3) के तहत राज्यों द्वारा उधार लिए जाने को मंजूरी देने की शक्तियों का प्रयोग करते समय वित्त आयोग की स्वीकृत सिफारिशों द्वारा अधिदेशित राजकोषीय सीमाओं का पालन करता है।

(घ): जीएसटी दर संरचना को सरल बनाने, वर्गीकरण संबंधी विवादों को कम करने, जीएसटी राजस्व बढ़ाने और जीएसटी दरों में बदलाव की सिफारिश करने के लिए जीएसटी परिषद द्वारा दर युक्तिकरण पर मंत्रियों का एक समूह (जीओएम) गठित किया गया है। राज्यों सहित दर युक्तिकरण के संबंध में शिकायतों की जांच जीओएम द्वारा की जाएगी। इसके अतिरिक्त, राज्यों से प्राप्त शिकायतों की जांच विधिक समिति (जीएसटी अधिनियम, नियमों आदि के संबंध में) और फिटमेंट समिति (जीएसटी दरों, वर्गीकरण आदि के संबंध में) द्वारा की जाती है। दोनों समितियों में केंद्र और राज्यों दोनों के अधिकारी शामिल होते हैं। राज्यों से सिस्टम संबंधी शिकायतों की जीएसटीएन द्वारा समाधान के लिए जांच की जाती है। इसके अतिरिक्त, राज्यों से किसी भी विशिष्ट परिवाद/शिकायत, जब भी प्राप्त हो, के शीघ्र समाधान के लिए जीएसटी परिषद सचिवालय द्वारा जांच की जाती है।

****